न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2112–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–05–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 311/बी–121/2013–14.

रामाधार सिंह पुत्र श्री लल्लूसिंह कुशवाह,
निवासी ग्राम उदलपाडा थान बिलौआ, तहसील डबरा,
जिला ग्वालियर

..............आवेदक

विरूद्ध

1–गजेन्द्रसिंह पुत्र श्री रामाधार सिंह
निवासी विजया नगर आमखो कम्पू,
लश्कर जिला ग्वालियर
2–म0प्र0शासन

..............अनावेदकगण

श्री जयन्त मिश्रा, अभिभाषक, आवेदक
श्री अजय शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक क्र.1
श्री अनिलकुमार श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक क्र.2

:: आदेश ::

(आज दिनांक 14/5/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश 27–5–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम महलगॉव स्थित भूमि सर्वे कमांक 1435/6 मि.18 रकवा 1200 वर्गफीट की मृतक भूमिस्वामी द्वारा उसके पक्ष में वसीयत की गई है अतः प्रश्नाधीन भूमि पर उसका नामान्तरण किया जाये । तहसील न्यायालय द्वारा 7/11–12/अ–6 दर्ज कर दिनांक 3–9–2012 को आदेश पारित किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का नामान्तरण किये जाने के आदेश दिये गये, तत्पश्चात् इसी भूमि के संबंध में अनावेदक कमांक 1 द्वारा भी वसीयत के आधार पर नामान्तरण किये जाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 31/13–14/अ–6 दर्ज कर दिनांक 23–7–2014 को आदेश पारित किया जाकर आवेदन पत्र निरस्त किया गया। तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 3–9–2012 के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 14–3–2014 को आदेश पारित किया जाकर तहसील न्यायालय का आदेश दिनांक 3–9–2012 निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 27–05–2015 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) अपर आयुक्त ने अपने आदेश में यह निष्कर्ष निकाला है कि भूमिस्वामी रामदेवी की मृत्यु वर्ष 2006 में हो गई थी और अनावेदक कमांक 1 द्वारा वसीयत के आधार पर नामान्तरण की मॉग वर्ष 2014 में लगभग 8 वर्ष के विलम्ब से की गई है और इतने समय तक नामान्तरण की कार्यवाही नहीं करना वसीयतनामे को सन्देहास्पद करती है और यह भी निष्कर्ष निकाला गया है कि अनावेदक कमांक 1 के पक्ष में वसीयतनामा दिनांक 29–3–2004 को निष्पादित हुआ है, जबकि आवेदक के पक्ष में दिनांक 10–5–2006 को निष्पादित हुआ है, जो वसीयतनामा अंतिम होकर प्रभावशील है। ऐसी अवस्था में अपर

आयुक्त को अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर तहसील न्यायलय का आदेश स्थिर रखना था, उनके द्वारा ऐसा नहीं करने में विधि की भूल की गई है ।

(2) अपर आयुक्त ने नामान्तरण की कार्यवाही हेतु प्रकरण तहसील न्यायालय को वापिस करने में कानूनी भूल की है, क्योंकि प्रकरण प्रत्यावर्तित करने का अधिकार अपर आयुक्त को नहीं था । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक क्र.1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) अनावेदक कमांक 1 के पक्ष में मृतक भूमिस्वामी द्वारा दिनांक 29–3–2004 को वसीयत की गई थी एवं दिनांक 1–5–2006 को रामदेवी की मृत्यु हुई, तत्पश्चात् अनावेदक कमांक 1 द्वारा नगर पालिका के आदेश दिनांक 18–2–2007 से अपना नामान्तरण कराया जाकर तब से निरन्तर सम्पत्तिकर जमा कर रहा है और उक्त नामान्तरण आदेश के विरूद्ध कोई अपील नहीं की गई है तथा अनावेदक कमांक 1 द्वारा नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित से ऋण भी प्राप्त किया गया है ।

(2) मृतक भूमिस्वामी रामदेवी की मृत्यु होने के उपरांत आवेदक द्वारा कूटरचित वसीयत तैयार कर बिना अनावेदक को सूचना दिये अवैध रूप से नामान्तरण करा लिया गया है जिसे निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है और अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(3) नामान्तरण नियम 27 आज्ञापक प्रावधान है जिसमें हितबद्ध पक्षकार को सूचना दी जाना चाहिये जबकि तहसील न्यायालय द्वारा नामान्तरण करने के पूर्व कोई सूचना हितबद्ध व्यक्तियों को नहीं दी गई है ।

(4) प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में दो वसीयतनामे निष्पादित हुये हैं और अनावेदक क्र.1 के पक्ष में पंजीकृत वसीयतनामा निष्पादित हुआ है जो कि विश्वसनीय है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त कर वसीयतकर्ता तथा मृत्यु प्रमाण पत्र की जॉच करने का आदेश देने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है ।

(5) वसीयतनामे के साक्षीयों ने स्वयं पुलिस के समक्ष ब्यान दिये हैं कि उनके धोखाधडी से गलत कागजों पर हस्ताक्षर करा लिये गये हैं ।

(6) दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित नहीं किया गया है, जबकि तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त कर उभयपक्ष को पुनः नामान्तरण की कार्यवाही हेतु स्वतंत्र छोड़ा गया है । अतः दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं होने से निगरानी निरस्त की जाये ।

तर्क के समर्थन 2007 आरएन 16, 2002 आरएन 49 एवं 1989 आरएन 63 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5/ अनावेदक क्र.2 शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले जाकर विधिसम्मत् आदेश पारित किये गये हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं होने से यह निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरणों को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष आवेदक द्वारा वसीयतनामे के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया और तहसीलदार द्वारा दिनांक 03–09–2012 को आदेश पारित कर आवेदक के पक्ष में नामान्तरण स्वीकृत किया गया है, तत्पश्चात् अनावेदक कमांक 1 द्वारा भी प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में वसीयतनामे के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसे तहसीलदार द्वारा दिनांक 23–7–2014 को आदेश पारित कर निरस्त किया गया है । तहसीलदार द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 3–9–2012 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होने अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 14–3–2014 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी का यह विधिक दायित्व था कि वे दोनों वसीयतनामों के संबंध में साक्ष्य लेकर प्रकरण का निराकरण करते, परन्तु उक्त कार्यवाही नहीं करने के कारण अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अवैधानिक होने से स्थिर रखे जाने

योग्य नहीं है । जहॉ तक अपर आयुक्त के आदशे का प्रश्न है, चूँकि अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के पूर्णतः अवैधानिक एवं अनुचित आदेश है, जिसकी पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है, इसलिये उनका आदेश भी निरस्त किये जाने योग्य है। इस प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये यह विधिक आवश्यकता है कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्याविर्तत किया जाये कि वे आवेदक एवं अनावेदक कमांक 1 द्वारा प्रस्तुत दोनों वसीयतनामों पर विधिवत् साक्ष्य लेकर आदेश पारित करें ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाते हैं प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये निराकरण करने हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर